

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-directorateoffood@gmail.com, website- www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक- 213 / विधानसभा / 2025  
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 21/2/2025

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,

मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर,

विषय- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 778 अतारांकित द्वारा श्री धरमलाल कौशिक,  
सदस्य विधानसभा की जानकारी।

कृपया विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्न क्रमांक 778 द्वारा श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य विधानसभा का उत्तर जिला बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न-उपरोक्तानुसार

अपर संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.  
संचालनालय, नवा रायपुर

## छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

### प्रश्न

(1)	प्रश्न क्रमांक	-	778
(2)	विभाग से उत्तर प्राप्त होने की अंतिम तिथि	-	25.02.2025
(3)	सदन में उत्तर देने की तिथि	-	04.03.2025
(4)	वर्ग जिसके लिए वह तिथि नियत है	-	वर्ग - 05

विषय- बिल्हा वि.स.क्षेत्र में राशन कार्ड बनाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन।

श्री धरमलाल कौशिक

अतारांकित प्रश्न


क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

- (क) जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन प्रदाय करने की योजनांतर्गत बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने प्रकार के व कुल कितने राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये थे ? कितने बनाये गए, कितने अपात्र पाये गए और कितने के कार्ड बनाये जाने शेष हैं? बनाये गए राशन कार्डों में से कितने कार्ड जीवित/क्रियाशील हैं और कितने निरस्त/अक्रियाशील हैं? कार्डवार, विकास खण्डवार जानकारी देवें?
- (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशनकार्डधारियों को क्या-क्या सामग्री.किस-किस प्रकार के राशन कार्ड पर निःशुल्क व नियत दरों पर उपलब्ध कराई जाती है? कार्डवार, सामग्रीवार जानकारी देवें?
- (ग) जनवरी, 2024 की स्थिति में बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं? कितनी नवीन दुकानें खोले जाने के प्रस्ताव/आवेदन लंबित हैं व क्यों ?

// उत्तर //

माननीय खाद्य मंत्री (श्री दयाल दास बघेल)

- (क) प्रश्नांकित अवधि में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में नवीन राशनकार्ड जारी करने हेतु 6,723 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से परीक्षण उपरांत पात्र पाए जाने पर 6,682 नवीन राशनकार्ड जारी किये गये तथा 41 आवेदन अपात्र पाए गये। जारी किये गये नवीन राशनकार्डों में से सभी 6,682 राशनकार्ड क्रियाशील है। राशनकार्ड के प्रकार एवं विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र - अ** अनुसार है।
- (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।
- (ग) जनवरी 2024 की स्थिति में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में कुल 94 उचित मूल्य दुकाने संचालित है। प्रश्नांकित अवधि में नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने हेतु आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।

  
अपर संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.  
संचालनालय, नवा रायपुर

प्रपत्र 'अ'

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 778 अतारांकित

स.क्र	विकासखण्ड	अन्योदय कार्ड	प्राथमिकता कार्ड	निःशक्तजन कार्ड	निराश्रित कार्ड	सामान्य कार्ड	कुल राशनकार्ड
1	बिल्हा	683	5082	10	13	131	5919
	कुल	683	5082	10	13	131	5919
स.क्र	नगरीय निकाय	अन्योदय कार्ड	प्राथमिकता कार्ड	निःशक्तजन कार्ड	निराश्रित कार्ड	सामान्य कार्ड	कुल राशनकार्ड
2	बोदसी	74	320	1	0	95	490
3	बिल्हा	53	184	0	0	36	273
	कुल	127	504	1	0	131	763
TOTAL		810	5586	11	13	262	6682

खाद्य नियंत्रक  
जिला विधानसभुर


परिशिष्ट ब

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 778 अतारांकित

राशनकार्डधारियों के लिए राशन सामग्री की निम्नानुसार पात्रता एवं दर निर्धारित है :-

योजनावार राशनकार्डों में खाद्यान्न की पात्रता एवं दर

संक्र०	योजना का नाम	चावल	शक्कर	नमक	केरोसीन	चना
1	अल्पोदय	35 किग्रा. निःशुल्क			नगरीय क्षेत्र में अधिकतम-1 लीटर एवं ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्रों तथा शेर अनुसूचित क्षेत्रों के	अनुसूचित क्षेत्र में 02 किलो 5 रुपए प्रति किलो
	प्राथमिकता	10 किग्रा. निःशुल्क		अनुसूचित क्षेत्र में 2 किग्रा. एवं शेर अनुसूचित क्षेत्र में 01 किग्रा. निःशुल्क प्रति कार्ड		
2	01 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड					
	02 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	20 किग्रा. निःशुल्क				
3	03 से 05 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	35 किग्रा. निःशुल्क				
	05 से अधिक वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	7 किग्रा. प्रति सदस्य के मान से				
4	निश्चित जन नियांत्रित	10 किग्रा. निःशुल्क	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	सामान्य	10 किग्रा. निःशुल्क	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	01 सदस्य वाले सामान्य एपीएल राशनकार्ड	10 किलो 10 रुपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	02 सदस्य वाले सामान्य एपीएल राशनकार्ड	20 किलो 10 रुपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	03 या 05 सदस्य वाले सामान्य एपीएल राशनकार्ड	35 किलो 10 रुपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

  
 खाद्य नियंत्रक  
 जिला बिलासपुर (छ0ग0)

# कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा), जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

//जापन//

क्रमांक/537 / खाद्य/2025

बिलासपुर, दिनांक 15/02/2025

प्रति,

संचालक,

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,

संचालनालय, अटल नगर, रायपुर छ0ग0

विषय:- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 778 अतारांकित द्वारा श्री धरमलाल कौशिक, संदस्य विधानसभा

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 104 /वि.स.-778/2025 नवा रायपुर दिनांक 14.02.2025


—000—

विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्न क्रमांक 778 अतारांकित की जानकारी निम्नानुसार तैयार किया गया है:-

क्र.	प्रश्न	क्र.	उत्तर																																										
क	जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन प्रदाय करने की योजनांतर्गत बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने प्रकार के व कुल कितने राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये थे? कितने बनाये गये, कितने अपात्र पाये गये और कितने के कार्ड बनाये जाने शेष है? बनाये गए राशनकार्डों में से कितने कार्ड जीवित/क्रियाशील है और कितने निरस्त/अक्रियाशील है? कार्डवार, विकासखण्डवार जानकारी देवे?	क	बिलासपुर जिले में जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन प्रदाय करने की योजनांतर्गत बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्थानीय निकाय जनपद पंचायत बिल्हा, नगर पंचायत बोदरी एवं बिल्हा से प्राप्त जानकारी अनुसार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निःशक्तजन एवं सामान्य (एपीएल) कुल 05 प्रकार के राशनकार्ड बनाये जाने हेतु निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत हुये थे -																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>राशन कार्ड प्रकार</th> <th>प्राप्त आवेदन</th> <th>बनाए गए राशन कार्ड</th> <th>अपात्र आवेदन</th> <th>राशनकार्ड बनाये जाने हेतु शेष आवेदन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>प्राथमिक कार्ड</td> <td>5611</td> <td>5586</td> <td>25</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>अंत्योदय कार्ड</td> <td>816</td> <td>810</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>निःशक्तजन कार्ड</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>निराश्रित कार्ड</td> <td>15</td> <td>13</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>सामान्य कार्ड</td> <td>268</td> <td>262</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">कुल राशन कार्ड :-</td> <td>6723</td> <td>6682</td> <td>41</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	राशन कार्ड प्रकार	प्राप्त आवेदन	बनाए गए राशन कार्ड	अपात्र आवेदन	राशनकार्ड बनाये जाने हेतु शेष आवेदन	1	प्राथमिक कार्ड	5611	5586	25	0	2	अंत्योदय कार्ड	816	810	6	0	3	निःशक्तजन कार्ड	13	11	2	0	4	निराश्रित कार्ड	15	13	2	0	5	सामान्य कार्ड	268	262	6	0	कुल राशन कार्ड :-		6723	6682	41	0
क्र.	राशन कार्ड प्रकार	प्राप्त आवेदन	बनाए गए राशन कार्ड	अपात्र आवेदन	राशनकार्ड बनाये जाने हेतु शेष आवेदन																																								
1	प्राथमिक कार्ड	5611	5586	25	0																																								
2	अंत्योदय कार्ड	816	810	6	0																																								
3	निःशक्तजन कार्ड	13	11	2	0																																								
4	निराश्रित कार्ड	15	13	2	0																																								
5	सामान्य कार्ड	268	262	6	0																																								
कुल राशन कार्ड :-		6723	6682	41	0																																								
			उक्त अवधि जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक बनाये गये 6682 राशनकार्डों में 6682 राशनकार्ड क्रियाशील है, पूर्व से निर्मित/मृत्यू उपरांत उक्त अवधि में कुल 1322 राशनकार्ड को निरस्त किया गया है। कार्डवार, विकासखण्डवार जानकारी परिशिष्ट अ में संलग्न है।																																										

	ख	सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशनकार्डधारियों को प्रदाय सामग्री व नियत दर की राशनकार्डवार जानकारी परिशिष्ट ब में संलग्न है।
ग	ग	<p>जनवरी 2024, की स्थिति में बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल कितनी उचित मूल्य की दुकाने संचालित हैं? कितनी नवीन दुकानें खोले जाने के प्रस्ताव/आवेदन लंबित हैं व कसों?</p> <p>जनवरी 2024, की स्थिति में बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 94 उचित मूल्य दुकानें संचालित है, उक्त अवधि में नवीन दुकान खोले जाने हेतु आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है।</p> <p>जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक दुकान निलंबन/निरस्त उपरांत 20 दुकानों हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था जिसमें 10 दुकानों का आवंटन किया जा चुका है, शेष 10 दुकानों का आवंटन किया जाना प्रक्रियाधीन है।</p>

उपरोक्तानुसार विधानसभा प्रश्न क्रमांक 778 अतारांकित की जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर संप्रेषित हैं।

  
 खाद्य नियंत्रक  
 जिला-बिलासपुर(छ0ग0)

प्रपत्र 'अ'

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 778 अतारांकित

स.क्र	विकासखण्ड	अन्त्योदय कार्ड	प्राथमिकता कार्ड	निःशक्तजन कार्ड	निराश्रित कार्ड	सामान्य कार्ड	कुल राशनकार्ड
1	बिल्हा	683	5082	10	13	131	5919
	कुल	683	5082	10	13	131	5919
स.क्र	नगरीय निकाय	अन्त्योदय कार्ड	प्राथमिकता कार्ड	निःशक्तजन कार्ड	निराश्रित कार्ड	सामान्य कार्ड	कुल राशनकार्ड
2	बोदरी	74	320	1	0	95	490
3	बिल्हा	53	184	0	0	36	273
	कुल	127	504	1	0	131	763
	TOTAL	810	5586	11	13	262	6682

खाद्य नियंत्रक  
जिला बिलासपुर

परिशिष्ट ब

विधानसभा प्रथम क्रमांक 778 अतारक्षित

राशनकार्डधारियों के लिए राशन सामग्री की निम्नानुसार पात्रता एवं दर निर्धारित है :-

योजनावार राशनकार्डों में खाद्यान्न की पात्रता एवं दर

संक्र०	योजना का नाम	यावल	शक्कर	नमक	केरोसीन	चन्ना
1	अन्त्योदय	35 कि.ग्रा. निःशुल्क			नगरीय क्षेत्र में अधिकतम-1 लीटर एवं	
	प्राथमिकता	10 कि.ग्रा. निःशुल्क		अनुसूचित क्षेत्र में 2 कि.ग्रा. एवं गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 01 कि.ग्रा. निःशुल्क कार्ड	ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्रों तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के	अनुसूचित क्षेत्र में 02 किलो 5 रूपर प्रति किलो की दर से
2	01 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड					
	02 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	20 कि.ग्रा. निःशुल्क				
3	03 से 05 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	35 कि.ग्रा. निःशुल्क			राशनकार्डधारियों को अधिकतम 2 लीटर	
	05 से अधिक वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	7 कि.ग्रा. प्रति सदस्य के भान से				
3	निश्चल जन	10 कि.ग्रा. निःशुल्क	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4	निराश्रित	10 कि.ग्रा. निःशुल्क	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	सामान्य					
	01 सदस्य वाले सामान्य एपीएल राशनकार्ड	10 किलो 10 रूपर प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	02 सदस्य वाले सामान्य एपीएल राशनकार्ड	20 किलो 10 रूपर प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	03 या 05 सदस्य वाले सामान्य एपीएल राशनकार्ड	35 किलो 10 रूपर प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

डा. म. व. शर्मा

वा. द. य. नि. य. ब. क.

जिला-बिलासपुर (छ.ओ.ग.)





# कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा), जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

//जापन//

क्रमांक/537 / खाद्य/2025

बिलासपुर, दिनांक 19/02/2025

प्रति,

संचालक,

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,

संचालनालय, अटल नगर, रायपुर छ0ग0

विषय:- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 778 अतारंकित द्वारा श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य विधानसभा

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 104 /वि.स.-778/2025 नवा रायपुर दिनांक 14.02.2025

-000-


विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्न क्रमांक 778 अतारंकित की जानकारी निम्नानुसार तैयार किया

गया है:-

क्र.	प्रश्न	क्र.	उत्तर																																										
क	जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन प्रदाय करने की योजनांतर्गत बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने प्रकार के व कुल कितने राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये थे? कितने बनाये गये, कितने अपात्र पाये गये और कितने के कार्ड बनाये जाने शेष है? बनाये गए राशनकार्डों में से कितने कार्ड जीवित/क्रियाशील है और कितने निरस्त/अक्रियाशील है? कार्डवार, विकासखण्डवार जानकारी दें?	क	बिलासपुर जिले में जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन प्रदाय करने की योजनांतर्गत बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्थानीय निकाय जनपद पंचायत बिल्हा, नगर पंचायत वोदरी एवं बिल्हा से प्राप्त जानकारी अनुसार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निःशक्तजन एवं सामान्य (एपीएल) कुल 05 प्रकार के राशनकार्ड बनाये जाने हेतु निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत हुये थे -																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>राशन कार्ड प्रकार</th> <th>प्राप्त आवेदन</th> <th>बनाए गए राशन कार्ड</th> <th>अपात्र आवेदन</th> <th>राशनकार्ड बनाये जाने हेतु शेष आवेदन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>प्राथमिक कार्ड</td> <td>5611</td> <td>5586</td> <td>25</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>अंत्योदय कार्ड</td> <td>816</td> <td>810</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>निःशक्तजन कार्ड</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>निराश्रित कार्ड</td> <td>15</td> <td>13</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>सामान्य कार्ड</td> <td>268</td> <td>262</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">कुल राशन कार्ड :-</td> <td>6723</td> <td>6682</td> <td>41</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	राशन कार्ड प्रकार	प्राप्त आवेदन	बनाए गए राशन कार्ड	अपात्र आवेदन	राशनकार्ड बनाये जाने हेतु शेष आवेदन	1	प्राथमिक कार्ड	5611	5586	25	0	2	अंत्योदय कार्ड	816	810	6	0	3	निःशक्तजन कार्ड	13	11	2	0	4	निराश्रित कार्ड	15	13	2	0	5	सामान्य कार्ड	268	262	6	0	कुल राशन कार्ड :-		6723	6682	41	0
क्र.	राशन कार्ड प्रकार	प्राप्त आवेदन	बनाए गए राशन कार्ड	अपात्र आवेदन	राशनकार्ड बनाये जाने हेतु शेष आवेदन																																								
1	प्राथमिक कार्ड	5611	5586	25	0																																								
2	अंत्योदय कार्ड	816	810	6	0																																								
3	निःशक्तजन कार्ड	13	11	2	0																																								
4	निराश्रित कार्ड	15	13	2	0																																								
5	सामान्य कार्ड	268	262	6	0																																								
कुल राशन कार्ड :-		6723	6682	41	0																																								
			उक्त अवधि जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक बनाये गये 6682 राशनकार्डों में 6682 राशनकार्ड क्रियाशील है, पूर्व से निर्मित/मृत्यू उपरांत उक्त अवधि में कुल 1322 राशनकार्ड को निरस्त किया गया है। कार्डवार, विकासखण्डवार जानकारी परिशिष्ट अ में संलग्न है।																																										

	ख	सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशनकार्डधारियों को क्या-क्या सामग्री, किस-किस प्रकार के राशनकार्ड पर निःशुल्क व नियत दरों पर उपलब्ध करायी जाती है? कार्डवार, सामग्रीवार जानकारी देवे?
ग	ग	<p>जनवरी 2024, की स्थिति में बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल कितनी उचित मूल्य की दुकाने संचालित हैं? कितनी नवीन दुकानें खोले जाने के प्रस्ताव/आवेदन लंबित हैं व कसों?</p> <p>जनवरी 2024, की स्थिति में बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 94 उचित मूल्य दुकानें संचालित है, उक्त अवधि में नवीन दुकान खोले जाने हेतु आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है।</p> <p>जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक दुकान निलंबन/निरस्त उपरांत 20 दुकानों हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था जिसमें 10 दुकानों का आबंटन किया जा चुका है, शेष 10 दुकानों का आबंटन किया जाना प्रक्रियाधीन है।</p>

उपरोक्तानुसार विधानसभा प्रश्न क्रमांक 778 अतारांकित की जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर संप्रेषित हैं।

  
 खाद्य नियंत्रक  
 जिला-बिलासपुर(छ0ग0)

प्रपत्र 'अ'

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 778 अतारांकित

सं.क्र	विकासखण्ड	अन्त्योदय कार्ड	प्राथमिकता कार्ड	निःशक्तजन कार्ड	निराश्रित कार्ड	सामान्य कार्ड	कुल राशनकार्ड
1	बिल्हा	683	5082	10	13	131	5919
	कुल	683	5082	10	13	131	5919
2	बोदरी	74	320	1	0	95	490
3	बिल्हा	53	184	0	0	36	273
	कुल	127	504	1	0	131	763
	TOTAL	810	5586	11	13	262	6682

खास नियंत्रक  
जिला - बिलासपुर

परिशिष्ट व

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 778 अतारांकित

राशनकार्डधारियों के लिए राशन सामग्री की निम्नानुसार पात्रता एवं दर निर्धारित है :-

योजनावार राशनकार्डों में खाद्यान्न की पात्रता एवं दर

संक्र०	योजना का नाम	चावल	शक्कर	नामक	केरोसीन	चना
1	अन्त्योदयः	35 कि.ग्रा. निःशुल्क			नगरीय क्षेत्र में अधिकतम-1 लीटर एवं	
	प्राथमिकता	10 कि.ग्रा. निःशुल्क		अनुसूचित क्षेत्र में 2 कि.ग्रा. एवं गैर अनुसूचित क्षेत्रों तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के	राशनकार्डधारियों को अधिकतम 2 लीटर	अनुसूचित क्षेत्र में 02 किलो 5 रूपए प्रति किलो की दर से
2	01 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड					
	02 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	20 कि.ग्रा. निःशुल्क		प्रति राशन कार्ड 01 किलो 17 रूपए की दर से		
3	03 से 05 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड					
	05 से अधिक वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	7 कि.ग्रा. प्रति सदस्य के भान से				
4	निश्चित जनः	10 कि.ग्रा. निःशुल्क	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	निराश्रित	10 कि.ग्रा. निःशुल्क	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	सामान्य					
	01 सदस्य वाले सामान्य एपीएल राशनकार्ड	10 किलो 10 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	02 सदस्य वाले सामान्य एपीएल राशनकार्ड	20 किलो 10 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	03 या 05 सदस्य वाले सामान्य एपीएल राशनकार्ड	35 किलो 10 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

  
 खाद्य विभाग  
 जिला-बिलासपुर (छ०ग०)